

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर केन-बेतवा लिक परियोजना (दौधन बांध) हेतु आवेदित 6017 हेक्टेयर वनभूमि जिला छतरपुर (4581.68 हेक्टेयर), जिला-पन्ना (1334.80 हेक्टेयर) एवं जिला टीकमगढ़ (100.52 हेक्टेयर) वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) को उपयोग पर देने हेतु वनमण्डलाधिकारी छतरपुर, वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, संयुक्त संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना एवं मुख्य वन संरक्षक वृत्त छतरपुर तथा क्षेत्र संचालक पन्ना द्वारा की गई अनुशंसाओं एवं वन्यप्राणी संबंधी अनुमति के संबंध में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की रटेंडिंग कमेटी की 39वीं बैठक दिनांक 23.08.2016 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन्यप्राणी संभाग) के पत्र क्रमांक 6-109/2016 WL (39 th Meeting) दिनांक 21.09.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवेदित 6017 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	--

दिनांक: 07.10.2016
स्थान: भोपाल

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

म.प्र. शासनात्मक सचिव (श्रीवास्तव)

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)